

**TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA  
EXTRAORDINARY  
PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION(11)**

**GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF FINANCE  
DEPARTMENT OF REVENUE  
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES**

New Delhi 31.3.2008

**NOTIFICATION  
(INCOME TAX)**

S.O. (E) - In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 54EB of the Income Tax Act, 1961, the Central Board of Direct Taxes hereby specifies the following equity shares as long term specified securities for the purposes of the said section, namely:-

- (ii) equity shares to be issued within a period of one year from the date of publication of the notification in the Official Gazette, of an amount not exceeding rupees 43.20 crores by M/s DC Power Ltd, having its registered office at 3-6-356/358, Basheer Bagh, Hyderabad-500 029.

Provided that the investment in the aforesaid equity shares specified in this notification is made by an assessee out of net consideration arising from transfer of long term capital asset in accordance with the provisions of the said section.

Provided further that in case the assessee transfers or converts (otherwise than by transfer) into money the aforesaid equity shares specified in this notification, allotted to him in any manner within a period of seven years from the date of their allotment, the initial investment made by such assessee in such equity shares shall be chargeable to tax under the head "Capital Gains" in accordance with the provisions of the said section.

Notification No. 11315



(MONA M. VERMA)

Under Secretary to the Government of India

( F.No.178/50/98-ITA-I)

To

The Manager  
Government of India Press  
Ring Road, Mayapuri Industrial Area  
(Near Rajouri Garden),  
New Delhi.

भारत के असाधारण राजपत्र के भाग 11 खंड 3, उपखंड 111 में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
राजस्व विभाग  
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 31 मार्च, 2000

अधिसूचना  
आयकर

का०जा० 111- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54 ड०ख की उपधारा 111 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा उपर्युक्त धारा के प्रयोजनार्थ दीर्घकालीन विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों के रूप में निम्नलिखित इक्विटी शेयरों को विनिर्दिष्ट करता है, अर्थात्:-

111 राजकीय गजट में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर मैक्स डी सी पावर लिमिटेड, हैदराबाद, जिनका पंजीकृत कार्यालय 3-6-356/358, ब्यारि बाग हैदराबाद-500029 में है, द्वारा 43.20 करोड़ रूपए से अनधिक राशि के जारी किए जाने वाले इक्विटी शेयर ।

अर्थात् कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट उपर्युक्त इक्विटी शेयरों में निवेश कर निर्धारित धारा उपर्युक्त धारा के उपबंधों के अनुसार दीर्घकालीन पूंजी परिसम्पत्ति के अन्तर्गत से होने वाले निवेश प्रतिफल से किया जाता है ।

अर्थात् यह भी कि यदि कर निर्धारित इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट उसको आवंटित उपर्युक्त इक्विटी शेयरों को किसी भी रूप में उनके आवंटन की तारीख से सात वर्ष की अवधि के भीतर इन में अन्तर्गत अथवा परिवर्तित अन्तर्गत के अन्तर्गत अन्यथा करता है, तो कर निर्धारित धारा ऐसे इक्विटी शेयरों में किया गया प्रारम्भिक निवेश उपर्युक्त धारा के उपबंधों के अनुसार "पूँजी अक्षिण" शीर्ष के अन्तर्गत कर प्रभावी होगा ।

माना वमा

मोना एम० वर्मा

उप सचिव, भारत सरकार

का०जा० 176/50/98-आयकर न०-111

अधिसूचना सं० 11315

सेवा में,

प्रबंधक, भारत सरकार प्रेस,

रिंग रोड, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,

राजौरी गार्डन के समीप, नई दिल्ली ।